न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– आर.के.जायसवाल, कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 97/2021 जीसीएमएस नं0 2021/215

उनवानी प्रकरण :–

सुमित कुमार(पार्टनर) जे एस के कंस्ट्रक्शन कल्यानपुर धौलपुर निवासी उमानगर चौपडा मंदिर के पीछे धौलपुर ———— अपीलान्ट ।

बनाम

प्रबंधक राज. राज्य खाध एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 धौलपुर

———— रेस्पोडेण्ट ।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

प्रथम अपील राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की धारा 38 के सम्बध में विरूद्व प्रबंधक राज.राज्य खाध एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 धौलपुर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री स्मिथ अग्रवाल एडवोकेट
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– स्वंय प्रबन्धक

निर्णय दिनांक 21-03-2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की धारा 38 के अन्तर्गत विरूद्व प्रबंधक राज.राज्य खाध एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 धौलपुर इस आशय की प्रस्तुत की है कि हमारी फर्म जे एस के कंस्ट्रक्शन कल्यानपुर धौलपुर ने कार्यालय राज.राज्य खाध एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 धौलपुर द्वारा जारी निविदा कमांक 1048 दिनांक 09 सिदम्बर 2021 में भाग लिया था। हमारी फर्म द्वारा निविदा प्रपत्रों के साथ जमा करवा दिए थे। हमारी फर्म द्वारा डीडी यस बैंक धौलपुर की शाखा से डायरेक्टर फूड एण्ड सिविल सप्लाईस कॉरपोरेशन लि0 के नाम से जारी किया गया

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

था। दिनांक 03.10.2021 सोमवार को हमारी फर्म द्वारा जब उक्त कार्यालय में जाकर निविदा को खोलने की जानकारी चाही गयी तब ज्ञात हुआ कि उक्त कार्यालय ने हमारी फर्म एवं अन्य दो फर्मो को तकनीकी निविदा में रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्शन का कारण जानने पर ज्ञात हुआ कि हमारी फर्म द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि के डीडी गलत नाम से प्रस्तुत किये गये थे जबकि सम्बधित कार्यालय के अनुसार डीडी डायरेक्टर के स्थान पर मैनेजर के नाम से प्रस्तुत करना था। उपापन कमेटी के इस निर्णय के खिलाफ अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि:–

1. सम्बंधित कार्यालय द्वारा निविदा शुल्क जमा करवाने के लिए कैश अथवा डीडी की सुविधा उपलब्ध करवाई गयी थी। जब हमारी फर्म के भागीदार सुमित ने अकॉउटैंट श्री श्याम सुन्दर मंगल से नगद जमाकर रशीद का निवेदन किया तो अकॉउटैंट साहब ने रशीद कटटा (जी ए 55) ना होने का हवाला देकर कैश भुगतान के लिए मना कर दिया तथा अकॉउटैंट साहब ने डीडी के जरिये उक्त राशि जमा करवाने की बात कही।
2. निविदा प्रपत्रों में धरोहर राशि का डीडी प्रबंधक खाध एवं नागरिक अपूर्ति निगम लिमिटेड के नाम से देय होना बताया गया था जिसका अंग्रेजी रूपांतरण निविदा प्रपत्रों में नहीं दिया गया था जबकि बैंक द्वारा डीडी अंग्रेजी भाषा में ही बनाये जाते है। हमारी फर्म द्वारा प्रबंधक को अंग्रेजी में जब डिक्शनरी में खोजा गया तो उक्त शब्द के कई अर्थ बताये गये जैसे कि डायरेक्टर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, एक्जीक्यूटिव इत्यादि जिसमें से हमारी फर्म द्वारा उचित ज्ञान के आधार पर डायरेक्टर फूड एण्ड सीविल सप्लाईस कॉरपोरेशन लि0 के नाम से डीडी बनवा कर निविदा के साथ संलग्न कर दिया गया। चूँकि निविदा में स्पष्ट रूप से इंग्लिश रूपांतरण नहीं किया गया था जिससे विभ्रांति पैदा हुयी एवं सरकारी कार्यालयों में मैजेजर शब्द का प्रयोग सीमित है।
3. तकनीकी निविदा उपस्थित सभी फर्मो के सामने दिनांक 23.09.2021 को खोली गयी लेकिन योग्यता अथवा अयोग्यता का आंकलन अकेले में किया गया जिसमें निविदा में भाग लेने वाली समस्त फर्मो को सिवाय एक फर्म को छोडकर अयोग्य घोषित कर दिया गया एंव हमारी फर्म को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया। जो कि आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 28 एवं नियम 55 का उल्लधंन है। नियम 28 उन प्रकियाओं का उल्लेख करता है जो प्रतियोगी बातचीत के लिए अपनायी जाएगी एंव नियम 55 उन प्रकियाओं का उल्लेख करता है जिनकी पालना बोलियों को खोलने में की जाना आवश्यक है।
4. महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त निविदा में जिस संस्था (ग्रामीण सेवा संस्थान) का चयन किया गया है उसका विधिक प्रतिनिधि एवं उसी संस्था के बैंक खातों का साइनिंग अथॉरिटी अमित गुप्ता है। यहॉ जानने वाली बात यह है कि यही अमित गुप्ता कार्यालय के नरेगा विभाग में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत है एंव उसी संविदा कर्मी अमित गुप्ता द्वारा दूसरी अन्य फर्म मैसर्स हर्षित कांट्रेक्टर की निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि अपने ए यू स्माल फाइनेंस बैंक धौलपुर के बचत खाते से जमा करवाई है। अतः

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

उक्त संविदा कर्मी अमित गुप्ता के द्वारा दोनो फर्मो का विधिक प्रतिनिधि होना सिद्व होता है जो आरटीपीपी अधिनियम 2012 एवं आरटीपीपी नियम 2013 की शर्तो के अनुसार दोनों फर्मो को तकनीकि रूप से अयोग्य घोषित होना चाहिए था किन्तु उक्त संविदा कर्मी अमित गुप्ता की संस्था ग्रामीण सेवा संस्थान का चयन किया गया। ग्रामीण सेवा संस्थान उक्त संविदा कर्मी अमित गुप्ता के पिताजी के नाम से दर्ज है। आपको कार्यालय के कर्मचारी द्वारा राजस्थान लोक सेवा अधिनियम का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है और निविदा को प्रभावित किया जा रहा है।

5. *एक ही विधिक प्रतिनिधि द्वारा दो फर्मो से निविदा प्रक्रिया में भाग लेना एवं उक्त प्रतिनिधि का आपके कार्यालय में संविदा कर्मी के रूप में कार्य करना निविदा को प्रभावित करता है, जो कि* RTPP नियम 2013 के नियम 80 का उल्लंघन है। नियम 80 में सत्यनिष्ठा संहिता के बारे में उल्लेख किया गया है जिसके उप नियम 1 (घ),(च), (ज),(झ),(ट),(ढ),(ण) एवं उप नियम 2 (क),(ख) (छ) का उल्लंघन निविदा प्रकिया में साफ तौर पर किया गया है जबकि निविदा प्रकिया में नियम 80 की पालना करना आवश्यक है।

6. *यह कि* RTPP नियम 2013 के नियम 81 हित का विरोध (Conflict of interest) के उप नियम 1 के अनुसार किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वाले के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हो जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन या लागू विधियों और विनिमयों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो तथा उप नियम 2 उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितो के विरोध में समझे जायेगे और उप नियम 3 उन परिस्थतियों का वर्णन करता है जिसमें कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया में RTPP नियम 2013 के नियम 81 का किसी भी तरह पालन नहीं किया गया है और सीधे तौर पर आपके कार्यालय के संविदा कर्मी अमित गुप्ता के कारण ग्रामीण सेवा संस्थान संस्था को फायदा पहुंचाया गया है।

7. यह कि नियम 68 प्रतियोगिता की कमी का भी पालन मूल्यांकन समिति द्वारा नहीं किया गया है। नियम 68 के उप नियम 1 (ख) स्पष्ट उल्लेख करता है कि एकल बोली होने की दशा में बोली लगाने वाले द्वारा कोट की गयी कीमत युक्तियुक्त प्रतीत हो। जबकि मूल्यांकन समिति ने गत वर्ष 2020–21 से भी अधिक बोली दर पर ग्रामीण सेवा संस्थान को निविदा स्वीकृत की है जिससे नियम 68 का उल्लंघन और राजकीय कोष एवं राज्य सरकार की वित्तीय की हानि हुई है। यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि गत वर्ष 2020–21 में भी उक्त निविदा ग्रामीण सेवा संस्थान द्वारा पूरी की गयी है। नियम 68 के उप नियम 2,3 एवं 4 का भी पालन मूल्यांकन समिति द्वारा नही किया गया है जो साफ उन शर्तो का उल्लेख करता है जिनकी पालना एकल बोली दाता को मंजूर करने में किया जाता है और मनमानी करते हुए एक ही संस्था को मनमानी कीमत पर जो कि पिछले वर्ष से अधिक है, पर निविदा को देकर फायदा पहुंचाया गया है।

जिला कलक्टर, धौलपुर

8. ग्रामीण सेवा संस्थान द्वारा कई अन्य कार्यालयों में मेन विथ मशीन सप्लाई करने का कार्य किया जा रहा है जहॉ पर निविदा शर्तो के अनुसार अगर फर्म की बोली कम पाई जाती है जिसकी जांच भी सम्बधित कार्यालय द्वारा नहीं कराई गयी है और मनमानी दर पर बोली स्वीकृत कर ली गयी। श्रीमान जी आपके कार्यालय में ही मेन विथ मशीन की सप्लाई कम कीमत में उपलब्ध कराई जा रही है।

9. यह कि ग्रामीण सेवा संस्थान द्वारा प्रस्तुत लेबर कॉन्ट्रैक्ट एंड अबोलिसन एक्ट 1970 भी कुल 50 व्यक्तियों के लिए जारी किया गया है जबकि ग्रामीण सेवा संस्थान के पास आज दिनांक तक 95 श्रमिक कार्यरत है जैसा कि ग्रामीण सेवा संस्थान द्वारा मार्च 2021 के पीएफ चालान में दर्शाया गया है। अतः चयनित संस्था ग्रामीण सेवा संस्थान लेबर कॉन्ट्रैक्ट एंड अबोलिसन एक्ट 1970 के मानको को भी पूरा नही करती और तकनीकी रूप से योग्य नहीं है। साथ ही कम श्रमिकों को दिखाकर लेबर कॉन्ट्रेक्ट एंड अबोलिसन एक्ट 1970 के लाइसेंस पर काम करना राजस्थान राज्य सरकार को सीधे–सीधे राजस्व हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया है और साथ ही भविष्य में श्रमिकों के साथ किसी भी प्रकार की घटना घटित होने पर लेबर कॉन्ट्रेक्ट एंड अबोलिसन एक्ट 1970 से प्राप्त होने वाले लाभ से भी वांछित कर दिया है। अतः ग्रामीण सेवा संस्थान तकनीकी निविदा के मानकों पर खरी नहीं उतरती है।

अतः हमारी फर्म द्वारा प्रस्तुत अपील पर सुनवाई कर उचित निर्णय लेवें और हमारी फर्म द्वारा उक्त निविदा में निविदा शुल्क और धरोहर राशि के डीडी को स्वीकार कर निविदा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें और साथ ही ग्रामीण सेवा संस्थान द्वारा तकनीकी मानकों को पूरा कर पाने के कारण आयोग्य घोषित किया किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर *प्रबंधक राज.राज्य खाध एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 धौलपुर को तलव किया गया तथा प्रस्तुत अपील पर उनका जबाव/तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। उन्होने अपने जबाव में कथन किया है कि* इस कार्यालय में मैन विद मशीन की आपूर्ति हेतु खुली निविदा सूचना पत्रांक 1048 दिनांक 09.09. 2021 द्वारा आमंत्रित की गई। जो SPP Portal पर अपलोड की गई, जिसका NIB No. CDH2122A0003 प्रतिपादित हुआ। निविदा सूचना की प्रति संलग्न है। जिसमें बैंकर चैक/डी.डी. प्रबंधक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. धौलपुर को देय अंकन किया गया है। बैंक में खाता इसी नाम से संचालित है। अपीलार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा Director Food And Civil Supply Corporation Limited के नाम से डी.डी. जमा कराया गया है। निविदा सूचना अनुसार यह डी.डी. प्रबंधक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. धौलपुर के नाम होनी चाहिए थी। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा वांछित शुल्क एवं अमानत राशि ही जमा नहीं कराया गया है, जिसके कारण अपीलार्थी की निविदा अस्वीकार कर दी गई।

अपीलार्थी द्वारा उठाये गये बिन्दुवार आक्षेपों के संबंध में तथ्य निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

1. बिन्दु संख्या 01 में अपीलार्थी का कथन असत्य होने से स्वीकार्य नहीं है क्योकि कार्यालय में नगदी जमा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किया गया है। उदाहरणतया निविदादाता MRV Security – Manpower Services को निविदा प्रपत्र नगदी प्राप्त कर विक्रय किया गया है। कार्यालय द्वारा जारी Cash receipt की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

2. बिन्दु संख्या 02 जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार्य नहीं है क्योकि हिन्दी प्रदेश की राजकीय भाषा है और समस्त राजकीय कार्य हिन्दी में ही संपादित किए जाते है। जिसके कारण कार्यालय द्वारा हिन्दी भाषा में जारी निविदा पूर्णतया मान्य है। साथ ही यह सर्वविदित है कि राजकीय कामकाज में प्रबंधक Manager होता है और Director निदेशक होता है। इन शब्दों का प्रयोग प्रदेश के समस्त राजकीय कार्यो में इसी परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। डी.डी. बनवाने में की गई त्रुटी के लिए निविदादाता फर्म स्वयं जिम्मेदार है। निविदा प्रपत्र में D.D. किस नाम से बनवाया जाएगा, इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अतः किसी प्रकार की त्रुटी के लिए निविदादाता ही जिम्मेदार है।

3. बिन्दु संख्या 03 जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार्य नहीं है क्योकि अपीलार्थी द्वारा यह स्वंय स्वीकार किया गया है कि निविदा समस्त निविदादाताओं से समक्ष खोली गई है, जो नियमानुकुल हैं। तकनीकी निविदा खोला जाकर इसी समय तकनीकी विश्लेषण संभव नहीं होता है। वल्कि तकनीकी विश्लेशण उपापन समिति द्वारा किए जाने का प्रावधान है तथा उपापन समिति के कार्य में किसी भी निविदादाता का हस्तक्षेप नियमों के प्रतिकूल है, जिसके कारण अपीलार्थी का दावा निरस्त करने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा वर्णित नियम 28 (Competitiva Negotiation) वित्तिय प्रस्ताव से संबंधित है, जो तकनीकी बिन्दु के संबंध में प्रासंगिक नहीं हैं। नियम 55, जिसमें bid opening से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है, उसकी पूर्णपालना किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का दावा निरस्त करने योग्य है।

4. बिन्दु संख्या 04 जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार्य नहीं है क्योकि निविदा प्रक्रिया में कुल चार निविदायें प्राप्त हुई हैं। जिनमें "ग्रामीण सेवा संस्थान" की कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई।

प्राप्त चारों निविदादाता का विवरण निम्न है:–

(i) MRV Security & Manpower Services.
(ii) हर्षित कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर्स।
(iii) भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान।
(iv) JSK Construction Kalyanpur, Dholpur.

इस प्रकार अपीलार्थी का यह कथन कि ग्रामीण सेवा संस्थान द्वारा निविदा प्रस्तुत किया गया है, पूर्णतया गलत है।

ग्रामीण सेवा संस्थान के समरूप नाम का निविदादाता मैं. भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान के अध्यक्ष श्री अनुज कुमार गुप्ता तथा मंत्री/सचिव श्री बी.एस. गुप्ता है। निविदा पर

(आर0 के0 जाखड़)
जिला कलक्टर, धौलपुर

हस्ताक्षर सचिव द्वारा ही किये गये हैं। इस प्रकार श्री अमित गुप्ता का इस संस्था के पंजीयन अनुसार किसी भी पद पर नहीं होना पाया गया है।

इस प्रकार प्राप्त निविदाताओं में से किसी भी दो संस्था से श्री अमित गुप्ता का संबंध होना सिद्ध नहीं होता। जिसके कारण RTPP नियम 2013 के नियम 80 एवं 81 का कोई उल्लंघन होना सिद्ध नहीं होता है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी का दावा निरस्त किए जाने योग्य है।

5. बिन्दु संख्या 05 जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार्य नहीं है क्योकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य गलत है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य के क्रम में बिन्दु संख्या 04 में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि श्री अमित गुप्ता के प्राप्त निविदाओं में से किसी भी दो संस्था से कोई संबंध नहीं है। साथ ही इस कार्यालय में श्री अमित गुप्ता नाम का कोई भी संविदा कर्मी कार्यरत नहीं है। जिसके परिणास्वरूप अपीलार्थी का दावा निरस्त करने योग्य है।

6. बिन्दु संख्या 06 जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार्य नहीं है प्रस्तुत तथ्यों के संबंध में वस्तुस्थिति बिन्दु संख्या 4 व 5 में स्पष्ट किया जा चुका है।

7. बिन्दु संख्या 07 जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार्य नहीं है क्योकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य गलत एवं आधारहीन है। उपापन समिति द्वारा नियम 68 के अनुरूप युक्तियुक्त विश्लेषण पश्चात निर्णय लिया गया है। समिति द्वारा नियम 68 के उप नियम 1 (ख) की पूर्ण पालना की गई है। उपापन समिति द्वारा वित्तीय निविदा खोले जाने के बाद नेगोसियेशन किया गया। नेगोसियेशन उपरान्त राज्य सरकार द्वारा जारी महंगाई भत्ते में वृद्धि 25 प्रतिशत के सापेक्ष विगत वर्ष की अनुमोदित दरों व वर्तमान में प्राप्त दरों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। प्रस्तावित दर 24.64 प्रतिशत अधिक थी, जो राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ता वृद्धि 25 प्रतिशत से कम होने पर युक्तियुक्त मानते हुये उपापन समिति द्वारा नियमों के अनुसार स्वीकृत की गई हैं।

8. बिन्दु संख्या 08 जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार्य नहीं है क्योकि उपापन समिति द्वारा राज्य सरकार के महंगाई भत्ते में 25 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर ही विगत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष हेतु प्राप्त बोलियों का तुलना किया गया है, जिसका उल्लेख बिन्दु संख्या 07 में स्पष्ट किया जा चुका है ।

9. बिन्दु संख्या 09 जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार्य नहीं है क्योकि इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा की शर्त संख्या 03 द्वारा (परिशिष्ट–स) पंजीकृत संस्था ही बोली में भाग लेने हेतु अहर्य होंगे। उसी आधार पर तकनीकी मूल्याकंन प्रपत्र तैयार किया जाकर उपापन समिति द्वारा तकनीकी मूल्याकंन किया गया है। निविदा शर्तो के अनुसार निविदादाता फर्म का लेबर कान्ट्रेक्ट एवं अबोलिसन एक्ट 1970 में रजिस्ट्रेशन मात्र होना आवश्यक है। शेष तथ्यों के संबंध में प्रत्यर्थी से स्पष्टीकरण लिया जाना उचित होगा तथा प्रवर्तन की जिम्मेदारी भी श्रम

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

विभाग से संबंधित है। प्रासंगिक **Act.** 1970 के प्रवर्तन हेतु निविदा आमंत्रित करने वाली संस्था जिम्मेदार नहीं हैं।

10. अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 10 जिस प्रकार प्रस्तुत किया गया है स्वीकार्य नहीं है क्योकि उपापन समिति द्वारा जारी निविदा को **SPP Portal** पर अपलोड किया गया है, जिसमें अपीलीय अधिकारी का अंकन किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निविदा शुल्क व धरोहर राशि का डी.डी. सही प्रस्तुत नहीं किये जाने से निरस्त योग्य है। जिसके कारण उपापन समिति का निर्णय पूर्णरूप से राज0 लोक उपापन नियमों के अनुरूप है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त करने की कृपा करें।

उभय पक्षों को सुना गया तथा अपील में प्रस्तुत तथ्य व प्रबंधक नागरिक अपूर्ति, निगम लि0 धौलपुर द्वारा दिये जबाव का एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि निविदा सूचना संख्या 1048 दिनांक 09.09.2021 में वर्णित अनुसार निविदा शुल्क राशि व धरोहर राशि बतौर बैंकर चैक "प्रबन्धक खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति निगम लि0 धौलपुर के पक्ष में देय संलग्न करने चाहिये थे। निविदा फार्म के बिन्दु संख्या 2 व बिन्दू संख्या–5 अनुसार निविदा शुल्क राशि व अमानत राशि का बैंकर चैक प्रबन्धक खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति निगम लि0 धौलपुर को देय नहीं होने से उक्त बिन्दुओं की पालना का उल्लंधन किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत डिमाण्ड ड्राफट प्रबन्धक खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति निगम लि0 धौलपुर के पक्ष में नहीं होने से निविद शुल्क व धरोहर राशि का अभाव होने से तकनीकी निविदा को मूल्यांकन समिति द्वारा अयोग्य मानी गई जो उचित निर्णय लिया गया। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज की जाती है। *पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।*

निर्णय आज दिनॉक 21-03-2022 *को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।*

(आर.के.जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर
(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)